न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
41 / 2016 / प्रा.पत्र / 2016	21.04.2016	13.04.2022

मदनलाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री मनोज जैन पुत्र श्री ओमप्रकाश जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स मनोज ट्रेडिंग कम्पनी नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक निवासी बापू बाजार मालपुरा जिला टोंक राज.
2– मैसर्स मनोज ट्रेडिंग कम्पनी नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक
3–श्री सतीश गुप्ता प्रोपरायटर मैसर्स एम.एस. प्रोडक्ट्स बी–55, राजधानी कृषि मण्डी कूकरखेडा, सीकर रोड जयपुर निवासी 34 शिवाजी मार्ग गोविन्द नगर ईस्ट, ब्रह्मपुरी जयपुर
4– मैसर्स एम.एस. प्रोडक्ट्स बी–55, राजधानी कृषि मण्डी कूकरखेडा, सीकर रोड जयपुर

...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गतधारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा –54 खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थी सं0 3 उपस्थित

:–**निर्णय**–: **दिनांक 13.04.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 05.12.2015 को समय 04:58 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स मैसर्स मनोज ट्रेडिंग कम्पनी नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहॉ श्री मनोज जैन पुत्र श्री ओमप्रकाश जैन मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर स्वयं को मैसर्स मनोज ट्रेडिंग कम्पनी नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक का एफ.बी.ओ. होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता ... क्रय करने हेतु दुकान में तेल, चीनी, घी, चाय, मसाले आदि अन्य खाद्य पदार्थ के साथ धनिया पाउडर नमस्कार एगमार्क स्टैण्डर्ड ग्रेड मूल पैक (Coriander Powder Namaskar Agmark Standard Grade original pack) जिसके बैच नं. 012 दिनांक नवम्बर / 2015 ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.16 16:45:43 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

500–500 ग्राम के 60 नग व 1–1 किलोग्राम के 60 नग दुकान में प्लास्टिक के बैग में रखे हुये थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अंदेशा होने पर 500–500 ग्राम के 60 नगों में से चार साफ प्रिन्टेड नगों का चयन कर पर श्री मनोज जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर आवेदक ने नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर श्री मनोज जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक ने खरीदशुदा 500–500 ग्राम के 4 नग कुल 2 किलोग्राम धनिया पाउडर नमस्कार एगमार्क स्टैण्डर्ड ग्रेड मूल पैक (Coriander Powder Namaskar Agmark Standard Grade original pack) को अलग–अलग चार भागों को चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में अलग–अलग ज्यों का त्यों साफ प्रिन्टेड रखकर, डिब्बों के ढक्कन को एयर टाईट बन्द किया, एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तेयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिये गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1224 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता श्री मनोज जैन तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई–1224 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येंक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मनोज जैन एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर नमस्कार एगमार्क स्टैण्डर्ड ग्रेड मूल पैक (Coriander Powder Namaskar Agmark Standard Grade original pack) का नमूना क्रय करते समय श्री मनोज जैन पुत्र श्री ओमप्रकाश जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स मनोज ट्रेडिंग कम्पनी नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी एम.एस. प्रोडक्ट्स यूनिट द्वितीय 5,5 ए, 5 बी, अखैपुरा दिल्ली बाईपास रोड जयपुर का खरीद बिल क्रमांक/इन्वॉइस नं. 1741 दिनांक 21.11.2015 की कार्बन प्रति प्रस्तुत कर खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को दिनांक 07.12.2015 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रबंधक मैसर्सएम.एस. प्रोडक्टस यूनिट द्वितीय 5,5 ए, 5 बी, अखैपुरा दिल्ली बाईपास रोड जयपुर को पत्र क्रमांक /एफएस[illegible]016/15 दिनांक 18.01.2016 द्वारा फार्म नं. 5ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज [illegible] पत्र प्रेषित किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.16 16:45:43 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./16/229 दिनांक 19.01.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/986/एक्ट/2015/03 दिनांक 05.01.2016 के अनुसार एफ.बी.ओ. श्री मनोज जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया धनिया पाउडर नमस्कार एगमार्क स्टैण्डर्ड ग्रेड मूल पैक (Coriander Powder Namaskar Agmark Standard Grade original pack) एफ.एस.एस.ए. की धारा 2(ii) उल्लंघन करने पर बाह्य अपद्रव्य (Extraneous Matter) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा अपद्रव्य (Extraneous Matter) स्तर का धनिया पाउडर नमस्कार एगमार्क स्टैण्डर्ड ग्रेड मूल पैक (Coriander Powder Namaskar Agmark Standard Grade original pack) विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 54 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित श्री सतीश गुप्ता द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। साथ ही अप्रार्थी सं01 की ओर से भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया गया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस धनिया पाउडर नमस्कार एगमार्क स्टैण्डर्ड ग्रेड मूल पैक (Coriander Powder Namaskar Agmark Standard Grade original pack) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में अपद्रव्य (Extraneous Matter) स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया धनिया पाउडर नमस्कार एगमार्क स्टैण्डर्ड ग्रेड मूल पैक (Coriander Powder Namaskar Agmark Standard Grade original pack) नमूना जांच में अपद्रव्य (Extraneous Matter) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 54 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री मनोज जैन पुत्र श्री ओमप्रकाश जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स मनोज ट्रेडिंग कम्पनी नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक निवासी बापू बाजार मालपुरा जिला टोंक पर शास्ति 5,000 (अक्षरे [illegible]) तथा अप्रार्थी श्री सतीश गुप्ता प्रोपरायटर मैसर्स एम.एस. प्रोडक्ट्स बी–5 [illegible] कृषि मण्डी कूकरखेडा, सीकर रोड जयपुर निवासी 34 शिवाजी [illegible] जयपुर पर शास्ति 5,000 (अक्षरे पांच हजार रू0) आरोपित की [illegible] है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा [illegible] कोष में संबंधित

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.16 16:45:43 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

मद में निर्णय दिनांक 13.04.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.04..2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

13-4-2022

(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक—राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.16 16:45:43 IST
Reason: SelfAttested